

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/04

रीवा, दिनांक : 4-1-2021

प्रति,

प्राचार्य

विषय :- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सत्र 2020-2021 के लिये महाविद्यालयों का बिना निरीक्षण किये अस्थायी सम्बद्धता/नवीनीकरण किये जाने हेतु विगत सत्र के सम्बद्धता पत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 07-12-2020 के आइटम क्रमांक 04 के निर्णयानुसार सत्र 2020-2021 के लिये महाविद्यालयों के बिना निरीक्षण किये अस्थायी सम्बद्धता/नवीनीकरण किये जाने हेतु - (1) महाविद्यालयों को निरीक्षण बिना सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व विगत सत्र में प्रदत्त सम्बद्धता में उल्लेखित शर्तों का पालन किये जाने की वचनबद्धता शपथपत्र पर लिये जाने का निर्णय लिया गया। (2) विश्वविद्यालय को अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क पर जीएसटी प्राप्त करने का प्रावधान हो गया है, अतः निर्धारित स्लैब की दर के अनुरूप सम्बद्धता शुल्क के साथ जीएसटी अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की जाती है, जिसके जमा होने के उपरांत ही सम्बद्धता प्रदान की जाय। अतः उपर्युक्त अनुसार पूर्ति करायी जाकर सात दिवस में प्रस्तुत किया जाय तभी महाविद्यालयों के बिना निरीक्षण किये सत्र 2020-2021 के लिए अस्थायी सम्बद्धता/नवीनीकरण किया जाना सम्भव होगा।

पत्र को प्राथमिकता दें।

ec/21/40
4/1/21

भवदीय
कुलसचिव
3.12.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
2. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. कुलपति जी के सचिव।
4. कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)